

डिक्री बमुकदमें इबादाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-जोचीणा
मु0न0 262/2017

दीगण-

1. भंवरलाल
2. हनुमानराम
3. धुड़ाराम
4. कालुराम
5. प्रहलाद पुत्रगण मोहनराम जाति मेघवाल निवासीगण नोखा जोधा तहसील जायल जिला नागौर।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मोहनराम पुत्र रुधाराम जाति मेघवाल निवासी नोखा जोधा तहसील जायल नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
3. कमा पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी नोखा जोधा तहसील जायल।

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय दिनांक :-25.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 378 रकबा 24.13 बीघा में से 12.17 बीघा तथा ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 2 बीघा भाग नजरीनकशानूसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 हनुमानराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 378 रकबा 24.13 बीघा में से 11.16 बीघा तथा ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 2 बीघा भाग नजरीनकशानूसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 धुड़ाराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 344 रकबा 25.02 बीघा में से 12.11 बीघा भाग तथा ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 5.05 बीघा नजरीनकशानूसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 कालुराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 344 रकबा 25.02 बीघा में से 12.11 बीघा भाग तथा ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 5.05 बीघा नजरीनकशानूसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी संख्या 5 प्रहलाद के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 356 रकबा 10.03 बीघा पूरा तथा ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 4 बीघा नजरीनकशानूसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम व 3 कमा के सामलाती हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 344/457 रकबा 19.12 बीघा में से 1.02 बीघा भाग नजरीनकशानूसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.05.2018 को जारी किया गया।



(सुरेन्द्र प्रसाद)
सुपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

सुपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- जोचीणा
क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/473 दिनांक-31.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर